App - A
Crim - 1

फर्द अहकाम

(नियम 26)

परखण्ड अधिकारी एवं दण्डनायक देसूरी(पाली)

टेमाराम व अन्य बनाम केनाराम व अन्य

मुकदमा प्रार्थना पत्र 212 व आदेश 39 नियम 1 व 2 CPC. 151 नम्बर 2/2022 सन् 2022

अन्तर्गत धारा 212

हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
वकील प्रार्थी उपस्थित। वकील प्रार्थीगण ने प्रार्थना-पत्र अन्तर्गत धारा 212 व आदेश 39 नियम 1 or 2 CPC के तहत विरुद्ध अप्रार्थी प्रस्तुत की है। प्रार्थना-पत्र दर्ज रजिस्टर हो। अप्रार्थीगण जरिये नोटिस तलब हो। पत्रावली वास्ते जवाब प्रार्थना-पत्र हेतु आयन्दा दिनांक 24/2/2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	
24/2/2022 वकील प्रार्थी उप० वकील श्री मकरलाल मीणा के प्रतिवादीगणो केनाराम, गोविन्द व रेवी के पक्ष मे मूल वाद मे वकालतनामा पेश किया पत्रावली आयन्दा जवाब प्रतिवादी हेतु आयन्दा दिनांक 14/3/2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	
14/3/2022 वकील प्रार्थी उप० ~~प्रतिवादी~~ अप्रार्थीगणो के जवाब प्रार्थना-पत्र हेतु पत्रावली आयन्दा दिनांक 18/4/22 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	
18/4/2022 वकील प्रार्थी उप० अप्रार्थी अधिवक्ता के द्वारा जवाब हेतु समय चाहा अतः समय दिया जाकर पत्रावली आयन्दा दिनांक 24/5/2022 को पेश हो। सहायक कलेक्टर (एस.डी.ओ.) देसूरी (पाली)	

Scanned with OKEN Scanner

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल्य जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामिल में जारी हुए
20/3/24	वकील प्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता अप्रार्थीगण उपस्थित। अधिवक्ता प्रार्थीगण को सुना गया। दौरान बहस प्रार्थी ने व्यक्त किया की विवादित की वाद है प्रार्थी एवं अप्रार्थीगण आपस में भाई है स्व० हजारी के चारों पुत्रों की संयुक्त खातेदारी थी। जिन्होंने दिनांक 7.6.78 को आपसी लिखा पढ़ी कर आपस बंटवारा कर दिया था। लेकिन अप्रार्थीगण हेजीव व्रता ने फर्जी तरीके से विक्रय विलेख करवाते समय प्रार्थीगण स्व० भीकाजी व हेमाजी का नाम लिखकर उनके फर्जी हस्ताक्षर व अंगूठा निशान करते हुए विक्रय विलेख करवा दिया जिससे उक्त आराजी में से प्रार्थी के नाम हट गये। अप्रार्थीगण अपने हिस्से की भूमि बेचान कर देने से वादग्रस्त आराजी में कोई हिस्सा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है. प्रार्थीगण अपना नाम सम्पूर्ण भूमि में दर्ज करवाने का अधिकारी है। अप्रार्थीगण का नाम आने से प्रार्थीगण को बेदखल करने पर उतारु है। प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार कर वादग्रस्त आराजी खसरा नंबर 519 रकबा 0.92 हैक्टर भूमि को अप्रार्थीगण किसी अन्य पक्षकार को बेचान हस्तान्तरण नहीं करें इस हेतु अस्थाई निषेधाज्ञा से रोका जावे। अधिवक्ता प्रार्थीगण की बहस पर मनन किया गया। पत्रावली का अवलोकन किया गया। मूल वाद का भी अवलोकन किया गया. अवलोकन से स्पष्ट प्रतीत होता है कि बेचान दिनांक 27.11.1978 का होना जाहिर है। उक्त बेचाननामे को प्रार्थीगण ने आज तक चेलेंज नहीं किया गया है. प्रकरण में अपूर्णीय क्षति एवं सुविधा का संतुलन प्रार्थी के पक्ष में नहीं है. अतः अंतरिम निषेधाज्ञा का प्रार्थना पत्र अन्तर्गत 212 RT Act व आदेश 39 नियम 1 व 2 सी.पी.सी. सपठित धारा 151 CPC. का खारिज किया जाता है. आदेश आज दिनांक 20.3.2024 को खुले इजलास सुनाया गया. पत्रावली फैसल शुमार होकर पत्रावली मूल वाद के संलग्न हो. [illegible] [illegible] (एस.डी.ओ.) [illegible]	